लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 012/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/25) RTI Portal अपील कमांक 340698168825883	**दायर दिनांक 20-01-2026**	**निर्णय दिनांक 11-02-2026**

उनवान

श्री प्रवीण पिता शिवलाल अहीर निवासी पिलखेड़ी, पोस्ट मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु RTI Portal के माध्यम से एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 06.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./012/2026(सू.अ.)(11.02)/56 दिनांक 21.01.2026 से अपील मेमो एवं आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 11.02.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई./2026/97 दिनांक 06.02.2026 से टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

यह कि अपीलार्थी द्वारा आर. टी. आई. के ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आवेदन में Comments and Attachments संलग्न नहीं होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया था जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील में चार बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी जो आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक/आर.टी.आई./2026/96 दिनांक 05.02.2026 से प्रेषित कर दी गई है। अतः आवेदक द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने एवं आवेदक को जरिये पत्र सूचित करने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत अपील को निरस्त करवाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन दिनांक 06.12.2025 से Mobile Network Coverage Issues and mobile Tower से संबंधित सूचनाएं चाही गई है जो उसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये पत्रांक/आर.टी. आई./2026/96 दिनांक 05.02.2026 से उपलब्ध कराई जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्रांक आर.टी.आई./2026/96 दिनांक 05.02.2026 से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है जिससे हस्तगत अपील पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)